

प्रेस विज्ञप्ति थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 24.07.2022

नाबालिग से छेडखानी, मारपीट एवं धमकी देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के प्रवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सहजनवा अंजुल कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में उ०नि० राहुल मिश्रा मय हमराह कां० अशोक कुमार के क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के हुकुम तहरीरी में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि क्षेत्राधिकारी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त पटखौली तिराहे पर खड़ा है मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास कर मैं उ०नि० मय हमराह के पटखौली तिराहे पर पहुंचकर मु०अ०सं० 229/2022 धारा 323,504,506,354,354घ भादवि० व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1) (ब) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र सुबास यादव निवासी ग्राम भगौरा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को दिनांक 24.07.2022 समय 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

अरविन्द यादव पुत्र सुबास यादव निवासी ग्राम भगौरा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 229/2022 धारा 323,504,506,354,354घ भादवि० व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1) (ब) एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान:-

पटखौली तिराहे थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय:-

दिनांक 24.07.2022 समय 13.30 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० राहुल मिश्रा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. कां० अशोक कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर